भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2535

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

जमाकर्ता संरक्षण तंत्र

2535. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत सहकारी बैंकों की कुल संख्या कितनी है और उनकी वित्तीय स्थिति क्या है तथा उन्हें सुदृढ़, संकटग्रस्त और जोखिम वाली श्रेणियों में किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान वित्तीय धोखाधड़ी, कुप्रबंधन या विनियामक कार्रवाई का सामना करने वाले सहकारी बैंकों का ब्यौरा क्या है तथा उल्लंघन की प्रकृति और की गई कार्रवाई क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हाल ही में हुई वित्तीय धोखाधड़ी की जानकारी है तथा सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की जांच करने और उन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) वित्तीय धोखाधड़ी या बैंक की विफलता की दशा में जमाकर्ता संरक्षण तंत्र का ब्यौरा क्या है और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के तहत इसका दायरा तथा इसके कार्यन्वयन का कवरेज क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): आरबीआई और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में सहकारी बैंकों की संख्या निम्नानुसार है:-

i) राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)– 34

ii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) – 352

iii) शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) – 1465

आरबीआई ने सूचित किया है कि विगत पांच वर्ष के दौरान 50 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का लाइसेंस रद्द किया गया है और वर्तमान में 24 यूसीबी विभिन्न कारणों से सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के अंतर्गत हैं। विगत पांच वर्ष के दौरान धोखाधड़ियों का सामना करने वाले सहकारी बैंकों की संख्या **अनुबंध I** में दी गई है।

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि. के संबंध में आरबीआई द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:-

• बैंक की वित्तीय स्थिति में और गिरावट आने से रोकने के लिए और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को 13 फरवरी, 2025 से सर्व-समावेशी निदेशों (एआईडी) के अंतर्गत व्यवसाय बंद करने के अधीन लाया गया है।

• बैंक में समुचित प्रबंधन स्थापित करने के लिए आरबीआई ने 14 फरवरी, 2025 से न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई के निदेशक मंडल का अधिक्रमण किया है और सलाहकार समिति के साथ एक प्रशासक की नियुक्ति की है।

• जमाकर्ताओं के लिए आहरण की सीमा को प्रति जमाकर्ता 25,000/- रुपए तक किया गया है। आहरण सीमा में राहत देने से कुल जमाकर्ताओं के 50% से अधिक व्यक्ति अपनी संपूर्ण शेषराशि को आहरित करने के लिए पात्र हो जाएंगे।

सहकारी बैंकों में वित्तीय धोखाधड़ियों से जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:-

• विनियमित संस्थाओं, अर्थात् सहकारी बैंकों के लिए धोखाधड़ी प्रबंधन के संबंध में वर्ष 2024 में मास्टर निदेश जारी किए गए हैं और इसमें अन्य के साथ-साथ धोखाधड़ी की सूचना देने, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने, अभिशासन तंत्र, शीघ्र चेतावनी तंत्र को लागू करना, कर्मचारी का उत्तरदायित्व, अन्य पक्षों के दायित्वों का निर्धारण और बाह्य तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों की भूमिका के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश शामिल किए गए हैं।

• त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे में अभिचिह्नित यूसीबी से समयबद्ध रूप से सुधारात्मक उपाय आरंभ करने और उन्हें लागू करने की अपेक्षा की गई है, ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकें और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा कर सकें।

• आरबीआई ने डीआईसीजीसी के माध्यम से निक्षेप बीमा के रूप में बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) के खाताधारकों के लिए वित्तीय सुरक्षा तंत्र लागू किया है।

• आरबीआई ने "आरबीआई कहता है" के माध्यम से विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ियों और उनकी कार्यप्रणाली जैसे पहलुओं के बारे में जागरूकता संबंधी सामग्री/उपयोगी जानकारी जारी की है।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) सहकारी बैंकों सहित बीमाकृत बैंकों में प्रति जमाकर्ता 5,00,000 रुपए तक सभी प्रकार की जमाराशियों (मूलधन और ब्याज सहित) का बीमा करता है।

*****

अनुबंध I

"जमाकर्ता संरक्षण तंत्र" के संबंध में दिनांक 17.3.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2535 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

विगत पांच वर्ष के दौरान वित्तीय धोखाधड़ी का सामना करने वाले सहकारी बैंकों की संख्या

बैंक की श्रेणी	**धोखाधड़ियों की संख्या**
राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)	227
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)	938
शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	2851

*****